रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

2203]

0. 2203]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 25, 2010/कार्तिक 3, 1932 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 2010/KARTIKA 3, 1932

उपभे ना मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाध्र और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2613(अ),—भांडागारण (विकास और विनियमन) धेनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा । की उप-धारा (3) उ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 25 अक्तूबर, 10 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिससे उक्त धेनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

> [फा. सं. टीएफसी/31/2008] नवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2010

S.O. 2613(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby appoints the 25th day of October, 2010 as the date on which the provisions of the said Act, shall come into force.

[F. No. TFC/31/2008]

NAVEEN PRAKASH, Jt. Secy.